



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04042026-271566
CG-MH-E-04042026-271566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1662]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1662]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 27 मार्च, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 1727(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 18 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 5882 (अ) तारीख 05 दिसम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "PH-16:- ओढा स्टेशन - 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए स्टैबलिंग लाइनों का प्रावधान" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी सहायक जिल्हाधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी, नाशिक दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक आपल महानगर (मराठी)" में तारीख २६/१२/२०२५, एवं "दैनिक लोकमत टाइम्स (इंग्रजी)" में तारीख २६/१२/२०२५ को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले के अंतर्गत लाखलगाव गाँव का विशेष रेल परियोजना "PH-16:- ओढा स्टेशन - 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए स्टैंबलिंग लाइनों का प्रावधान" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसांपादन प्रस्ताव क्र.	गावाचे नाव	उप विभाग	७/१२ नुसार जमीनधारकांचे नाव	सर्वेक्षण/ गट क्रमांक	जमीन भाडेपट्टा प्रणाली	एकूण क्षेत्रफळ ७/१२ (हे.आर.)	संपादित होणारी जमीन क्षेत्र (हे.आर.)	बोझर/ बिहीर	बांधकाम	झाडे	क्षेत्र
१	१४/२०२५	लाखलगाव	नाशिक	मोहन नामदेव उखाडे, तान्हुबाई नामदेव उखाडे, लीलाबाई उत्तम गडाख, शैला यादवराव जाधव, इतर अधिकार स.सा.कुळ विश्वनाथ गणु टिळे, पिंप्री सैय्यद वि.का.से.सो. मुलगी अंजनाबाई कृष्णा जाधव, लाखलगाव वि.का.से.सो.र, बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ली. नाशिक यांचा जमी बोजा श्री. नामदेव सहादु उखाडे यांचे करीताचा तान्हुबाई नामदेव उखाडे	२८८	१	०.४१.००	०.१०	-	-	-	-
				कुल			०.४१.०० (हे.आर.)	०.१० (हे.आर.)				

[फा. सं. G197/Nashik Kumbh 2027/Odha-Lakhalgaon Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)
NOTIFICATION

Mumbai, the 27th March, 2026

Under clause 20(E) of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1727(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 5882 (E) dated 18th December 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 5th December 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, “PH-16:- Odha station - Provision of stabling lines for handling Kumbh Mela traffic in 2027” District Nashik in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO/Assistant Collector/SDO Nashik daily newspapers namely “Dainik Aapla Mahanagar (Marathi)” & “Dainik Lokmat times (English)” Dated 26-12-2025 & 26-12-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “PH-16:- Odha station - Provision of stabling lines for handling Kumbh Mela traffic in 2027” for Lakhalgaoon village in the District Nashik in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Proposal No	Name of Village	Sub Division	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No./ Gatt No.	Land Type	Total Area as per 7/12 (Ha)	Acquisition Area (Ha)	Bore Well / Tubewell	Construction /Structure	Trees	Remark
1.	14/2025	Lakhalgaoon	Nashik	Mohan Namdev Ukhade, Tanhubai Namdev Ukhade, Leelabai Uttam Gadakh, Shaila Yadavrao Jadhav, Other Rights S.S.Kul Vishwanath Ganu Tile, Pimpri Saiyid Vs.K.S.So. Daughter Anjanabai Krishna Jadhav, Lakhalgaoon V.K.S.Sor., Bank Inspector and Special Recovery Officer Nashik District Central Cooperative Bank Ltd. Nashik's confiscation burden Shri. Tanhubai Namdev Ukhade by Namdev Sahadu Ukhade	288	1	0.41.00	0.10	-	-	-	-
				Total			0.41.00 (Ha)	0.10 (Ha)				

[F. No. G197/Nashik Kumbh 2027/Odha-Lakhalgaoon Vlg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)